जून 2025
वर्ष 39 संख्या 6
मूल्य 5 रुपये

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

युद्धविराम घोषणा पर भाकपा (माले) – न्यू डेमाक्रेसी का वक्तव्य

भारत और पाकिस्तान द्वारा 10 मई को शाम 5 बजे से प्रभावी घोषित संघर्षविराम ने 7 मई से शुरू हुई सीमा पार मिसाइल व ड्रोन युद्ध तथा नियंत्रण रेखा (LOC) पर गोलीबारी को रोक दिया है। यह युद्धविराम 7 मई को आधी रात के उस हमले के बाद शुरू हुआ जिसमें भारत ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और पंजाब (पाकिस्तान) में नौ ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था। भारत सरकार ने दावा किया कि यह हमला पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करने वालों के प्रशिक्षण स्थलों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। यद्यपि दोनों पक्षों द्वारा युद्धविराम उल्लंघन की शिकायतें हुई हैं, फिर भी दोनों सरकारों ने संघर्षविराम का पालन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

यह युद्धविराम घोषणा उन लोकतांत्रिक और शांति पसंद लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करती है जो भारत और पाकिस्मान के बीच इस युद्ध के विरोधी थे, क्योंकि यह युद्ध भारत और पाकिस्तान की जनता के हित में नहीं था और खासकर दोनों देशों के सीमावर्ती राज्यों की जनता के लिए तबाही लाने वाला था। बावजूद इसके, दोनों देशों के शासक वर्गों ने अपनी–अपनी सरकारों के पीछे लामबंद होकर इस युद्ध को भड़काया जो सीमित होने के सरकारी दावे के बावजूद एक व्यापक युद्ध में बदलने की ओर बढ़ रहा था।

हालांकि यह युद्धविराम जनता की मांग के अनुरूप है, लेकिन यह शर्मनाक है कि भारत और पाकिस्तान को युद्धविराम पर सहमत कराने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवादी शासकों के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ही थे जिन्होंने अपने सोशल मीडिया खाते पर "पूर्ण और तात्कालिक युद्धविराम" की घोषणा सबसे पहले की और इसका श्रेय अपने प्रशासन के नेताओं द्वारा रात भर की बातचीत को दिया। इसके तुरंत बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा, "मैं यह घोषणा करते हुए प्रसन्न हूं कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तात्कालिक संघर्षविराम और एक तटस्थ स्थल पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गई हैं।"

यह महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार, जो शांति की हर आवाज को राष्ट्र–विरोधी ठहरा रही थी, एक साम्राज्यवादी शक्ति की बात के सामने चुपचाप झुक गई, हालांकि भारतीय अधिकारी अमेरिका की भूमिका को कम करके बता रहे हैं। यह भारतीय शासकों की साम्राज्यवाद के प्रति आधीनता को दर्शाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि संसद में मौजूद दल, जिनमें सीपीएम, सीपीआई भी शामिल हैं, जो युद्ध के पक्ष में माहौल बना रहे थे, अब अमेरिकी साम्राज्यवाद की मध्यस्थता में हुए संघर्षविराम की प्रशंसा कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि साम्राज्यवाद के प्रति नतमस्तक होना भारतीय शासक वर्गों और उनके दलों का एक लक्षण है। यह घटनाक्रम मोदी नेतृत्व वाली आरएसएस–भाजपा सरकार की 'महाशक्ति' बनने की डींगों की हवा निकालता है। इनके दावों की असलियत का पर्दाफाश होना स्थिति को लोकतांत्रिक ताकतों के लिए जनता के संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल बनाता है हांलाकि कारपोरेट मीडिया द्वारा इसको अलग रंग देने के प्रयास निरंतर किये जा रहे हैं।

भारत सरकार जम्मू–कश्मीर में सभी हमलों के लिए पाकिस्तान सरकार को दोषी ठहराती है, जबकि पाकिस्तान बलूचिस्तान में हो रहे सभी हमलों के लिए भारत सरकार को दोषी ठहराता है। दोनों सरकारें कश्मीरी और बलोच जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का सम्मान करने में विफल रही हैं। पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकवादी हमला निंदनीय है, परंतु इस घटना से संबंधित सभी तथ्यों को सामने लाने और पर्यटकों की हत्या के पीछे सभी दोषियों को उजागर करने के लिए एक निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है।

शांति की रक्षा के लिए युद्धोन्माद फैलाने वालों और उनकी योजनाओं का पर्दाफाश करना होगा। प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ताकतों को जनता को यह सिखाना होगा कि शासक वर्ग उनके अधिकारों को कुचलने के लिए युद्ध का सहारा लेते हैं और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा व विस्तार के लिए संघर्षों में संगठित होना होगा।

हम मांग करते हैं कि युद्ध को बढ़ावा देने वाले सभी कदमों को तत्काल वापस लिया जाए विशेषकर पहलगाम हमले के बाद उठाये गये एकतरफा कदमों को और दोनों देशों के बीच वार्ता शुरू की जाए। हम यह भी मांग करते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध तुरंत हटाए जाएं।

डी.एस. खटकड़
प्रवक्ता, केंद्रीय समिति,
सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी
11 मई 2025

इरान पर इज़राइल के हमले का विरोध करें !

इज़राइल द्वारा जनसंहार के विरुद्ध फिलीस्तीनियों का समर्थन करें !

ईरान के कई शहरों पर 13 जून तड़के इज़राइल के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पहले से ही अशांत मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थिति को और विस्फोटक बना दिया है। ज़ायोनिस्ट इज़राइली शासक ग़ज़ा में युद्ध में बुरी तरह फंसे हुए हैं, जिसका उद्देश्य फ़िलिस्तीनियों का ग़ज़ा और पश्चिमी तट से सफाया करना या उन्हें बाहर निकालना है। वे फ़िलिस्तीनियों के प्रतिरोध का समर्थन करने वाली सभी ताकतों को निशाना बना रहे हैं। उनके लेबनान, सीरिया और यमन में हमलों ने फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध का समर्थन करने वाली जन ताकतों को निशाना बनाया है। ईरान पर हमला उनके इस मंसूबे का हिस्सा है जिसमें वे प्रतिरोध के सबसे मजबूत समर्थक को निशाना बना रहे हैं। हालांकि प्रतिरोध समर्थक ताकतों को सीरिया में असद शासन के पतन से कुछ नुकसान हुआ है, फ़िलिस्तीनियों का प्रतिरोध और हौथी शासित यमन का समर्थन जारी है, वहीं हिज़्बुल्लाह ने अपनी अधिकांश नेतृत्व स्तर की क्षतियों की भरपाई कर ली है।

रिपोर्टों के अनुसार, यह हमला मुख्य रूप से आवासीय इलाकों पर केंद्रित था जिसका उद्देश्य सेना के कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों को मारना था। छह प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं और तीन महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर मारे गए हैं। इन सैन्य कमांडरों में थलसेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, आईआर जीसी कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी तथा आईआरजीसी वायु सेना के प्रमुख शामिल हैं। इनके अलावा, इस हमले में कई नागरिक, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, मारे गए हैं। हमले कई शहरों में किये गये हैं। इजराईल द्वारा इरान के परमाणु संयत्र क्षेत्रों पर भी हमलों का दावा किया गया है।

अमेरिकी प्रशासन यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वे इस इज़राइली हमले से अवगत तो थे लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया। यह निराधार है। इस हमले में अमेरिका और इज़राइल के निकट सहयोग की कई रिपोर्टें हैं, जैसे हमले से 24 घंटे पहले ईरान के पास अमेरिकी ईंधन टैंकरों का परिचालन। इज़राइल अमेरिका के सहयोग के बिना ईरान पर हमला नहीं कर सकता था और न कर सकता है। यह हमला असल में अमेरिका तथा इजराईल का संयुक्त हमला है। ट्रंप प्रशासन ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत कर रहा है और बैठक ओमान में 15 जुन को निर्धारित है। ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन के समर्थन से किया गया यह हमला ईरान पर उसके संवर्धन कार्यक्रम पर समझौता करने का दबाव बनाने की चाल है। हमले में अमेरिकी लिप्तता हो दुपाने का एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि वे अपने अरब साझेदारों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनके देशों में स्थित अमेरिकी ठिकाने निशाना नहीं बनाए जाएंगे।

ट्रंप प्रशासन द्वारा ज़ायोनिस्ट आपराधिक शासन इज़राइल द्वारा फ़िलिस्तीनियों के निरंतर नरसंहार का समर्थन मध्य पूर्व में आग से खेलने जैसा है। ट्रंप प्रशासन ने अंतर–साम्राज्यवादी अंतर्विरोध को कम करने की कोशिश की है विशेषकर रूस के साथ सैन्य टकराव को। दूसरी ओर, ट्रंप प्रशासन ने दुनिया के उत्पीड़ित देशों और जनता पर हमला तेज कर दिया है। इज़राइल के प्रति उनका समर्थन इसी का हिस्सा है। ट्रंप उत्पीड़ित देशों को महंगे अमेरिकी सामान और सेवाएं खरीदने के लिए मजबूर करने हेतु आयात शुल्क थोप रहे हैं। हालांकि ये दोनों अंतर्विरोध अब एक–दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं और एक का तीव्र होना दूसरे को भी प्रभावित करेगा। ट्रंप प्रशासन अमेरिका में श्रमिकों पर भी हमले तेज कर रहा है। उन्होंने नेशनल गार्ड को संघीय नियंत्रण में ले लिया है और जबरन निर्वासन का विरोध करने वाले प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ मरीन (अमेरिकी सशस्त्र बल) तैनात कर दिए हैं। ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान पर इज़राइली हमले को हरी झंडी देना अमेरिका में श्रमिकों पर हो रहे इन हमलों से जनता का ध्यान भटकाने में भी मदद करेगा।

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ग़ज़ा में युद्धविराम की जोरदार मांग की थी और यह इज़राइली शासन की दुष्ट प्रवृत्ति और अमेरिकी प्रशासन द्वारा उन्हें दी जा रही पूर्ण छूट को दर्शाता है।

इजराईल द्वारा ईरान पर हमला और इनके खिलाफ ईरान की अवश्यंभावी प्रतिक्रिया मध्य पूर्व में व्यापक तनाव को जन्म दे सकती है, जिसका रुख अप्रत्याशित होगा और इसमें अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों की भी भागीदारी हो सकती है। इज़राइल मध्य पूर्व में व्यापक युद्ध की चाहत रखता है क्योंकि वह ग़ज़ा में अपने उद्देश्यों को हासिल नहीं कर सका है। यह व्यापक युद्ध इस क्षेत्र में सीमित शांति और विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगा।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

प्रेस व अभिव्यक्ति की आजादी पर हमलों के खिलाफ सभा

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 30 मई 2025 को जन हस्तक्षेप द्वारा आयोजित सभा में दिल्ली के प्रमुख बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, शिक्षाविदों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की बैठक में आरएसएस–बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार मीडिया की स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर सुनियोजित हमलों को लेकर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में सरकार द्वारा प्रेस और आम लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के उद्देश्य से उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया गया। मसलन 2023 में पारित डिजिटल डेटा प्रोटक्शन एक्ट और 2025 में बनाए गए इसके नियम हैं। हाल ही में 'द वायर' और यूट्यूब चौनल '4–पीएम' जैसे मीडिया माध्यमों को सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन अदालत के हस्तक्षेप के बाद प्रतिबंध हटाना पड़ा। इसी तरह अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदावादी के विरुद्ध एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने देश के मुसलमानों के प्रति किए जा रहे व्यवहार को लेकर चिंता व्यक्त की थी। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में अदालत ने एक 'खास' टिप्पणी करने के बाद उन्हें जमानत दी। इसी तरह 1 मई को मध्य प्रदेश के भिंड जिले में चार पत्रकारों को पुलिस द्वारा एसपी आशीष यादव के कार्यालय में कथित रूप से जातिगत गलियों का शिकार बनाते हुए प्रताड़ित किया गया, क्योंकि उन्होंने पुलिस के उगाही नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था।

प्रेस क्लब में बुद्धिजीवी, पत्रकार, अध्यापक, वकील, छात्र और आम नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार और विदेश मामलों के विशेषज्ञ सईद नकवी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर राकेश बटब्याल, प्रसिद्ध आरटीआई कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज, रिपोर्टर्स कलेक्टिव के संस्थापक और खोजी पत्रकार नितिन सेठी ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत में जन हस्तक्षेप के सहसंयोजक अनिल दुबे ने चर्चा के लिए विषय का प्रारूप प्रस्तुत किया। जन हस्तक्षेप के संयोजक डॉ विकास वाजपेई ने सभा की कार्रवाई का संचालन किया। वक्ताओं की प्रमुख चिंता थी कि कानून और नौकरशाही की सख्ती के अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यापक स्तर पर ट्रोल आर्मी और सत्ताधारी दल के संरक्षण में काम करने वाले गुंडों द्वारा बाधित किया जा रहा है, जो अल्पसंख्यक समुदायों विशेष कर मुसलमानों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, कलाकारों और यहां तक की हाल में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए नौसेना अधिकारी की विधवा पत्नी को भी डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। 'गोदी मीडिया' राष्ट्रवाद के नाम पर सांप्रदायिक घृणा और हिंसक सांप्रदायिकता का महिमामंडन करता है। भारत– पाकिस्तान के हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान इस मीडिया ने अनैतिक और संभावित रूप से खतरनाक रिपोर्टिंग की सारी सीमाएं पार कर दीं, जिससे भारतीय मीडिया वैश्विक स्तर पर उपहास का पात्र बन गया।

गोदी मीडिया मुख्य धारा बन चुका है और उसे पूर्ण सरकारी संरक्षण मिल रहा है। वहीं स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर काम कर रहे पत्रकार सरकार और ट्रोल आर्मी के निशाने पर हैं! सईद नकवी ने गोदी मीडिया के उदय का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने खाड़ी युद्ध के दौरान ग्लोबल मीडिया को बगदाद के 'अल रशीद' होटल की छत से जन्म लेते देखा था। इसी के साथ 'एंबेडेड जर्नलिज्म' का युग शुरू हुआ और वास्तविक समय में युद्ध लोगों के ड्राइंग रूम में प्रसारित किया जाने लगा। यह युद्ध आतंकवाद के खिलाफ बताया गया, तो मुसलमानों को आतंकवादी बता दिया गया और अफगानिस्तान, लीबिया, सीरया और अब गजा तक इस्लामोफोबिया उनकी एक चाल बन गई है।

अंजली भारद्वाज ने कहा कि पर्सनल डेटा प्रोटक्शन एक्ट और आरटीआई में किए गए संशोधनों ने लोगों के सूचना के अधिकार को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सरकार ने 'डेटा मुक्त भारत' अभियान शुरू किया है। यही कारण है कि गरीबी, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या जैसे तमाम आवश्यक आंकड़े अब उपलब्ध नहीं हैं। नीति आयोग जब दावा करता है कि केवल 5 प्रतिशत भारतीय ही गरीब हैं, तो यह कल्पना डेटा अनुपलब्धता का ही परिणाम है। आरटीआई अधिनियम में संशोधन के बाद अब भ्रष्टाचार के मामले, सड़क टूट जाने, पुल ढ़ह जाने, राशन कार्ड न बन पाने जैसे तमाम नागरिक सवाल अब नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि वह पर्सनल डेटा एक्ट के तहत निजी जानकारी बना दिया गया है। प्रोफेसर बटब्याल ने कहा कि कट्टरता को बढ़ावा देने वाले मीडिया आउटलेट को संरक्षण का मंच प्राप्त है। नितिन सेठी ने कहा कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सरकार के तमाम गलत आदेशों को उजागर किया, जैसे बिना आधार नंबर वाले बच्चों और माताओं को फ्री राशन का लाभ देने से मना कर दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन था। उन्होंने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता में तमाम बाधाओं के बावजूद बड़ी संख्या में युवा पत्रकारों के काम उम्मीद की बड़ी किरण हैं, जो बिना किसी सुविधा, कम वेतन और अपने करियर व सुरक्षा की परवाह न करते हुए खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं और सरकार को उन्हीं से डर लग रहा है। इसीलिए वह बार–बार उन पर कानूनों, पाबंदियों के जरिए और निजी हमले भी करती है।

सभा के अंत में डॉ विकास बाजपेई ने कहा कि हम रेखांकित करते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि एक न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और जीवंत समाज की मूलभूत आवश्यकता है, जिसे संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में निहित किया गया है। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्त की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता पर आरएसएस–बीजेपी सरकार द्वारा किए जा रहे संगठित हमलों से हम चिंतित हैं, क्योंकि पत्रकारिता, शिक्षा, साहित्य और कलात्मक अभिव्यक्ति को लोकतांत्रिक जीवन के स्तंभों के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए।

पहलगाम हत्याकांड की पूर्ण और उच्चस्तरीय जांच तथा 'आपरेशन सिंदूर' से जुड़े सभी पहलुओं का खुलासा किया जाए

युद्ध नहीं; अमेरिका की अधीनता नहीं

धार्मिक आधार पर मुख्यतः पर्यटकों की नृशंस हत्या (एक स्थानीय व्यक्ति भी मारा गया) की पूरे देश में, कश्मीरियों सहित, व्यापक निंदा की गई है। यह घाटी में पर्यटकों को निशाना बनाने वाला पहला हमला था। लोकतांत्रिक जनमत ने इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए घटना से जुड़े अनेक सवाल उठाए हैं, जिनमें सुरक्षा में चूक भी शामिल है। इसलिए इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय और व्यापक जांच की मांग उठी ताकि दोषियों को सजा दी जा सके। लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग को नजरअंदाज कर दिया है। उसने कुछ आतंकवादियों के घरों को बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोज कर दिया, लेकिन चारों आतंकी अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं।

मोदी के नेतृत्व वाली आरएसएस–भाजपा सरकार ने इस हमले का आरोप पाकिस्तान पर लगाया और 7 मई की आधी रात के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पंजाब (पाकिस्तान) में मिसाइल हमले किए। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त सीमा–पार गोलीबारी हुई। इन हमलों से दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध की आशंका पैदा हो गई, जो न तो भारत और न ही पाकिस्तान की जनता के हित में था, बल्कि दोनों देशों के सीमा क्षेत्रों में तबाही का खतरा बना रहा। लोकतांत्रिक जनमत ने इन हमलों को तुरंत रोकने की मांग की और 10 मई शाम 5 बजे से युद्धविराम लागू हुआ।

हालांकि, युद्धविराम की घोषणा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने की, उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के प्रवक्ताओं ने। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने खुद को युद्धविराम में मध्यस्थ साबित करते हुए व्यापार को दबाव के औजार के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही। दूसरी ओर, भारतीय प्रधानमंत्री ने 12 मई के अपने संबोधन में इस विषय पर पूरी तरह चुप्पी साध ली। उनकी चुप्पी इतनी "जोरदार" थी कि पूरे देश में सुनाई दी। यह एक बार फिर दिखाता है कि मोदी और आरएसएस–भाजपा नेता कमजोर, गरीब, शोषित और उत्पीड़ित वर्गों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के खिलाफ आक्रामक हैं, लेकिन साम्राज्यवादी शक्तियों के सामने पूरी तरह झुक जाते हैं। मोदी की सरकार आरएसएस की उस परंपरा पर चल रही है, जो स्वतंत्रता संग्राम से दूर रही और हमेशा साम्राज्यवाद के आगे नतमस्तक रही है।

देश की जनता इन हमलों की शुरुआत, घटनाक्रम, युद्धविराम समझौते और इसमें साम्राज्यवादी शक्तियों, विशेष रूप से अमेरिका की भूमिका के बारे में जानना चाहती है। सरकार को इस मुद्दे पर पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए।

भाकपा (माले)–न्यू डेमोक्रेसी देश की जनता से अपील करती है कि वे पहलगाम हत्याकांड की पूर्ण और उच्च स्तरीय जांच तथा 'ऑपरेशन सिंदूर' से संबंधित सभी तथ्यों के उजागर किए जाने की मांग करें।

हमें 18 मई से 24 मई के सप्ताह में इन मांगों को लेकर अन्य जनवादी ताकतों के साथ कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए।

भाकपा (माले)–न्यू डेमोक्रेसी सभी क्रांतिकारी कम्युनिस्ट संगठनों, प्रगतिशील, जनवादी और देशभक्त ताकतों से अपील करती है कि वे इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करें या उसमें भाग लें।

भाकपा (माले)–न्यू डेमोक्रेसी संसदीय दलों से मांग करती है कि वे इन मुद्दों को सभी मंचों पर उठाएं और इनसे जुड़े सभी तथ्य जनता के सामने लाए जाएं।

भाकपा (माले)–न्यू डेमोक्रेसी
15 मई 2025

आपरेशन कगार के खिलाफ कोलकाता में सम्मेलन

17 मई 2025 को आपरेशन कगार के खिलाफ कोलकाता में एक सम्मेलन किया गया। सम्मेलन का आयोजन अनेक जन संगठनों तथा जनवादी अधिकार संगठनों ने किया था। आयोजन करने वाले संगठनों में ए.पी.डी.आर., सी.आर.पी.पी., एफ.आई.आर., इफ्टू, आर.एस.एफ. आदि संगठन शामिल थे। सम्मेलन का आयोजन कोलकाता स्थित मुस्लिम इंस्टीट्यूट हाल में किया गया था।

सम्मेलन में जनवादी अधिकार संगठनों तथा जन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में बुद्धिजीवियों ने भी अच्छी संख्या में भाग लिया। सम्मेलन को भागीदार संगठनों के प्रवक्ताओं ने संबोधित किया तथा मांग की आपरेशन कगार को बंद किया जाये व आदिवासियों की हत्याओं को फौरन रोका जाये। सम्मेलन को संओधित करने वालों में इफ्टू नेता का. आशीष दासगुप्ता शामिल थे।

संगरूर आंदोलन: सामाजिक न्याय व आर्थिक न्याय का साझा संघर्ष

भारत के शासक वर्गों ने भूमि सुधारों को कभी लागू नहीं किया, जिसके कारण दलितों, आदिवासियों व अन्य शोषित तबकों में आर्थिक और सामाजिक न्याय का सवाल बना हुआ है। यही कारण है कि 75 वर्षों से अनेक राज्यों में छोटे बड़े भूमि संघर्ष ज्वलंत हैं, लेकिन पंजाब में एक दशक से अधिक समय से जमीन प्राप्ति संघर्ष समिति (जेडपीएससी) के बैनर तले जारी भूमिहीन दलित किसान–मजदूर आंदोलन ने देश में जमीन के संघर्ष का विशिष्ट उदाहरण पेश किया है। कांग्रेस, भाजपा–अकाली और अब आम आदमी पार्टी की सरकारों का स्थानीय जमींदारों के साथ हमेशा से गठजोड़ रहा है। भूमिहीन दलितों के आंदोलन पर बीते वर्षों में बड़े पैमाने पर दमन और यहां तक कि जमींदारों द्वारा हिंसक हमले व हत्याएं भी हुईं, लेकिन इस आंदोलन ने कदम दर कदम संघर्ष करते हुए जमीन पर कब्जे के साथ ही दलितों को सामाजिक सम्मान और न्याय दिलाने में कामयाबी हासिल की। और समय–समय पर सरकारों, प्रशासन व जमींदारों के गठजोड़ को घुटने टेकने पर विवश किया।

20 मई 2025 को संगरूर जिले के 'बेचिराग' जमीनों पर बेगमपुरा गांव बसाने की मांग को लेकर हजारों भूमिहीन दलितों ने मोर्चा निकाला, लेकिन उन पर आम आदमी पार्टी की भगवंत सिंह मान सरकार ने भारी दमन किया और 800 से अधिक जेडपीएससी नेताओं, कार्यकर्ताओं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों को संगरूर, भटिंडा, पटियाला और मानसा जिला जेलों में भेजा गया। उन पर नई आईपीसी की धारा 751 लगाई गई, जो केवल शांति भंग होने की आशंका जैसे मामलों में लगाई जाती है। जेल में उन्हें भोजन–पानी की भी सुविधाएं नहीं दी गईं, तो इसके विरोध में लोगों ने भूख हड़ताल की।

दरअसल भूमिहीन मजदूरों और उसमें भी दलित समुदाय के लिए जमीन पर मालिकाना हक का सवाल सिर्फ आर्थिक सवाल नहीं, बल्कि यह उनके सामाजिक सम्मान, अस्तित्व और उनकी पहचान का भी बड़ा सवाल है, जो उनसे कभी बलात छीन लिया गया था, उनको मजबूती प्रदान करता है। देश में खासतौर पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में काफी बड़ी दलित आबादी होने के बावजूद जातीय उत्पीड़न का सवाल दलित आंदोलन का केंद्रबिंदु नहीं बन सका, लेकिन पंजाब में जातीय उत्पीड़न की लड़ाई को जमीन के साथ जोड़ते हुए जेडपीएससी ने भूमिहीन दलितों के संघर्षों को एक खास पहचान दी है। यह देश में वर्ग संघर्ष का जीवंत और ज्वलंत मॉडल है। पंजाब के संगरूर, बरनाला, पटियाला और मानसा जिलों में यह संघर्ष एक दशक से अधिक से चल रहा है और इससे भूमिहीन दलित समाज को बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। संगरूर के भूमि संघर्ष का नेतृत्व जेडपीएससी के क्रांतिकारी नेता कर रहे हैं। मुकेश मालौद, गुरमुख सिंह मान, बिक्कर सिंह हथोवा, धर्मवीर, जगतार सिंह और गुरविंदर जैसे दर्जनों नेताओं को भूमिगत होना पड़ा और उनकी तलाश में पुलिस ने कई गांवों में छापे मारे और दलितों के घरों के दरवाजे और दीवारें तक तोड़ दीं, लेकिन वह उन तक नहीं पहुंच सकी। जेडपीएससी के नेतृत्व में होने वाले मार्च को रोकने के लिए 6 जिलों की पुलिस संगरूर में लगाई गई थी। गांव के चप्पे–चप्पे पर पुलिस तैनात थी और सड़कों व गलियों पर अवरोध लगाए गये थे, लेकिन पैदल, निजी वाहन और ट्रैक्टरों पर दलितों के जत्थे गांव–गांव से निकलते रहे और उनकी गिरफ्तारियां होती रहीं।

ताजा मामला पंजाब के संगरूर में स्व. राजा जींद, जिसका अब कोई कानूनी वारिस नहीं रहा, उसकी 927 एकड़ जमीन जिसका एक तिहाई हिस्सा भूमिहीन दलितों को कानूनन आवंटित किया जाना चाहिए था, लेकिन उस पर दिल्ली, चंडीगढ़ आदि महानगरों में रह रहे जमींदारों का कब्जा है। इन कब्जाधारकों में हाई कोर्ट का एक जज भी शामिल है। जेडपीएससी ने ऐसे बेचिराग जमीनों पर बेगमपुरा गांव बसाने की मांग को लेकर 20 मई 2025 को हजारों की संख्या में संगरूर प्रशासन को घेरने की घोषणा 3 माह पूर्व की थी, लेकिन उससे पूर्व 18–19 मई की रात से ही प्रशासन ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दीं। संगरूर जिले की ओर गांवों से कूच कर रहे जत्थों पर बल प्रयोग किया गया और गिरफ्तारियां की गईं। इनमें 400 महिलाओं, बच्चों के साथ 70–75 की आयु वाली वृद्ध महिलाएं भी शामिल थीं। 6 जिलों की पुलिस की संगरूर के गांव–गांव में तैनाती थी। सभी सड़कों और गलियों को ब्लॉक कर दिया गया था। भूमिहीन दलितों के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने आतंक फैलाने और डराने वाली कार्रवाई की। जेडपीएससी के जोनल लीडर धर्मवीर सिंह और उनकी पत्नी गुरविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।

उक खास बात यह रही है कि इन गिरफ्तारियां के खिलाफ संगरूर के संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने अपनी मांगों के साथ ही जेडपीएससी की मांगों का समर्थन करते हुए सभी गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली से जन हस्तक्षेप और चंडीगढ़ व पंजाब के नागरिक, मानवाधिकारवादी और वकील संगठनों ने आप सरकार के इस जुल्मों सितम की जांच शुरू कर दी। आखिरकार आप पार्टी की सरकार और प्रशासन भूमिहीन दलितों के हौसलों को तोड़ नहीं सकी। संघर्ष के और व्यापक स्वरूप ले लेने की आशंका तथा 2 जून को पंजाब के सभी किसान, मजदूर और नागरिक संगठनों के बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाले संयुक्त प्रदर्शन के ऐलान को देखते हुए सरकार ने घुटने टेक दिए और एक जून 2025 को सभी गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की घोषणा की और जेडपीएससी नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया।

मौजूदा संघर्ष 300 एकड़ जमीन का है, जिस पर कई प्रभावशाली जमींदारों लोगों का कब्जा है। मुख्य रूप से जमींदार बन गये संदीप सिंह का है, जो दिल्ली में रहता है और स्वर्गीय राजा के नौकर का संबंधी है। उसके पास 48 एकड़ जमीन है। यह जमीन सरकार के पास है, लेकिन कब्जा संदीप सिंह का है। सरकार कोर्ट में चली गई है। वहीं कई अन्य जमींदार भी चंडीगढ़, मुंबई व बेंगलुरु में रहते हैं। इनमें एक जज भी है। यह सभी उपजाऊ जमीनें हैं, जिस पर खेती हो रही है, लेकिन अब यह कमर्शियल जमीन हो गई है। जमीन के एक हिस्से पर सरकार मंडी बनाने का प्लान कर रही है, जबकि स्थानीय आप पार्टी के विधायक और जिला स्तरीय नेताओं में से कोई माल, मार्केट या अन्य व्यावसायिक उपयोग की योजना बना रहे हैं। कोर्ट में सिर्फ 48 एकड़ जमीन का मामला है, लेकिन शेष अन्य जमीनों के मामले में भी सरकार और प्रशासन जमींदारों व पंचायत प्रमुखों के साथ खड़ी दिखाई देती है। इसका बड़ा प्रमाण यह है कि राजा की जो जमीन जंगल घोषित है, जबकि वहां जंगल के नाम पर सिर्फ झाड़ हैं, उस जमीन पर कुछ दलितों को आवास बनाने के लिए प्लाट दिए गए हैं, लेकिन वह सिर्फ कागजों पर है। इस तरह सरकारों की मंशा पूरी तरह भूमिहीन दलितों के खिलाफ रही है।

इससे पूर्व बेचिराग गांव में बेगमपुरा बसाने और भूमि वितरण की मांग को लेकर जेडपीएससी के हजारों दलित कार्यकर्ताओं ने 28 फरवरी 2025 को उन बेचिराग जमीनों पर जाकर सामूहिक रूप से चिराग जलाए थे और अपने दावे को मजबूत करते हुए ऐलान किया था कि अप्रैल माह में फसल कटने के बाद वह जमीन पर कब्जा करेंगे। फरवरी में कड़ाके की ठंड और भारी वर्षा के बावजूद मालवा के हजारों दलित समुदाय के लोग भटिंडा जीरकपुर हाईवे के पास एकत्र हुए थे और उक्त जमीन के हिस्से पर दावा करने के लिए मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया था। उस समय जेडपीएससी के जोनल अध्यक्ष मुकेश मालौद ने कहा था कि पंजाब में हजारों एकड़ बेचिराग भूमि है, जिस पर दलित समुदाय के भूमिहीनों को कब्जा दिया जाना चाहिए।

पंजाब में 1972 के लैंड सीलिंग एक्ट के तहत तय सीमा 17.5 एकड़ से अधिक भूमि पर जमींदारों का फर्जी दस्तावेजों के जरिए नाजायज कब्जा है। जेडपीएससी उन्हें मुक्त कर भूमिहीन दलितों के बीच

(शेष पृष्ठ 6 पर)

सीपीआई एमएल (न्यू डेमोक्रेसी) का दिल्ली के पंजाब भवन पर प्रदर्शन व गिरफ्तारियां

सीपीआई(एमएल) न्यू डेमोक्रेसी की दिल्ली कमेटी के आह्वान पर 22 मई को पंजाब भवन पर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन पंजाब सरकार द्वारा जेडपीएससी और दलित कार्यकर्ताओं के खिलाफ किए जा रहे पुलिस दमन के विरोध में था। इस विरोध में कई जनसंगठनों ने भाग लिया, जिनमें इफ्टू, पीडीएसयू, पीएमएस, जन हस्तक्षेप और 'कलेक्टिव' छात्र संगठन शामिल थे।

एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के रेजिडेंट कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। जब प्रतिनिधिमंडल अंदर था, तभी पुलिस ने लगभग 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में कॉमरेड अपर्णा (राष्ट्रीय अध्यक्ष, इफ्टू), कॉमरेड पूनम (महासचिव, पीएमएस, दिल्ली), और कॉमरेड राजेश (महासचिव, आईएफटीयू, दिल्ली) सहित कई अन्य शामिल थे।

प्रदर्शनकारियों ने 17 मई से शुरू हुए आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा पंजाब में चलाए जा रहे दमनचक्र की कड़ी निंदा की। जेडपीएससी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर छापे मारे गए हैं, और 19 मई शाम तक सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये दमनकारी कार्रवाइयाँ 20 मई को संगरूर में दलितों की प्रस्तावित सभा को रोकने के उद्देश्य से की गई हैं, जिसका मकसद भूमि अधिकारों की माँग करना था। यह जमीन, जो कभी जिंद के राजा की थी और अब सार्वजनिक संपत्ति बन चुकी है, दलितों और भूमिहीनों को बाँटी जानी थी।

जेडपीएससी ने इस जमीन के वितरण की माँग सरकार और प्रशासन से बार–बार उठाई, लेकिन उनकी अपीलों को अनसुना किया गया। 28 फरवरी 2025 को जेडपीएससी के नेतृत्व में दलितों ने संगरूर के निकट बड़ी असवां में "बेचिराग" कहे जाने वाले इस भू–भाग पर दीप जलाए। यह कदम भूमिहीन श्रमिकों के लिए भूमि पर मालिकाना हक की माँग और आत्म–सम्मान व सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक था। जेडपीएससी ने वर्ग (भूमि का स्वामित्व) और जाति (सामाजिक उत्पीड़न) दोनों मुद्दों को संबोधित करते हुए दलितों को उनके अधिकारों के लिए संगठित किया है।

ज्ञापन में प्रमुख माँगें निम्नलिखित हैं:

सभी जेडपीएससी नेताओं और कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए!

दलितों और जन आंदोलनों पर दमन बंद करो!

संगरूर की अतिरिक्त सार्वजनिक जमीन को भूमिहीन दलितों में वितरित करो!

नदियों के पानी के विवाद पर

30 अप्रैल को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने के फैसले से पंजाब और अन्य राज्यों के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। बीबीएमबी भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर बांधों से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को पानी के वितरण को नियंत्रित करता है। यह आदेश हरियाणा को आवंटित हिस्से से अतिरिक्त पानी छोड़ने का है, क्योंकि हरियाणा ने मई 20 तक के लिए तय अपना हिस्सा मार्च तक ही उपयोग कर लिया था।

पंजाब के भूजल स्तर में गिरावट के चलते सिंचाई के लिए पानी निकालने (जिसकी भी एक सीमा है) के बढ़ते खर्च के कारण नदी के पानी का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। यह पंजाब के लोगों, खासकर किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। पंजाब की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है।

राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए सैद्धांतिक रुख अपनाने के बजाय, सत्तारूढ़ वर्ग के दल इस मुद्दे पर अवसरवादी रुख अपनाते रहे हैं। पंजाब में वे पंजाब का और हरियाणा में हरियाणा का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस और संघ–भाजपा लंबे समय से ऐसा करते आए हैं और अब सत्ता की राजनीति में नवागत आम आदमी पार्टी भी उनके नक्शेकदम पर चल रही है। पंजाब में सत्तारूढ़ आप बोर्ड के फैसले को लागू करने से इनकार कर रही है, जबकि आप की हरियाणा इकाई अन्य दलों के साथ मिलकर पानी छोड़ने के फैसले को पंजाब सरकार द्वारा लागू करने की मांग कर रही है।

तो फिर नदी जल को लेकर राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने का आधार क्या होना चाहिए? ये विवाद तटीय और गैर–तटीय राज्यों के बीच और साथ ही ऊपरी तटीय और निचले तटीय राज्यों के बीच हो सकते हैं। हमारी पार्टी अपने नीति प्रस्ताव में कहती है, ''हम नदी जल के वितरण की समस्या को तटवर्ती कानून (रिपेरियन लॉ) के आधार पर हल करने का समर्थन करते हैं, जबकि संबंधित राज्यों की सहमति से आपातकालीन जरूरतों के लिए कुछ रियायत दी जाए।'' (नीति प्रस्ताव, 2004 पार्टी कांग्रेस, 5.16)

तो तटवर्ती कानून (रिपेरियन लॉ) क्या है? यह स्पष्ट रूप से कहता है कि नदी जल पर अधिकार प्राथमिक रूप से उन राज्यों का है जिनसे नदियाँ/नदी बहती है/है। अन्य राज्यों यानी जिन राज्यों से नदी/नदियाँ नहीं बहती हैं, उनका दावा अधिशेष पानी तक सीमित है। हमने अपने नीति प्रस्ताव में पेयजल जैसी तत्काल जरूरतों के लिए कुछ रियायत दी है, लेकिन यह अन्य उद्देश्यों पर लागू नहीं हो सकती। हरियाणा और राजस्थान तटवर्ती राज्य नहीं हैं क्योंकि सतलुज, रावी या ब्यास का कोई भी हिस्सा उनसे होकर नहीं बहता है और न ही उनका जल निकासी क्षेत्र इन राज्यों में पड़ता है। इन नदियों के लिए, केवल पंजाब और हिमाचल तटवर्ती राज्य हैं। यदि केंद्र सरकार या सत्ताधारी वर्ग की पार्टियाँ तटवर्ती कानून पर एक सैद्धांतिक रुख अपनाएं तो इसका हल आसान है।

हरियाणा का दावा राज्य विभाजन (तत्कालीन पंजाब के विभाजन वर्तमान पंजाब और हरियाणा में) पर आधारित है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन संपत्ति के बंटवारे का विषय नहीं हैं जो मुख्य रूप से चल संपत्ति और कुछ हद तक अचल संपत्ति के मूल्य पर लागू होता है क्योंकि वे पूरे राज्य के लोगों के श्रम से बनती हैं। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों को लेकर ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, बिहार के विभाजन के समय बिहार और झारखंड के बीच कोयला और खनिज संसाधनों का कोई बंटवारा नहीं हुआ और ना ही ऐसा हो सकता था। राजस्थान तो कभी पंजाब का हिस्सा भी नहीं रहा। हरियाणा और राजस्थान का दावा नदियों के अधिशेष पानी पर होना चाहिए। इसका वस्तुनिष्ठ और सही आंकलन कर आवंटन होना चाहिए। सत्ताधारी वर्ग की पार्टियाँ इस संवेदनशील मुद्दे पर अवसरवादी रवैया अपनाकर आग से खेल रही हैं। हरियाणा का यमुना के पानी पर जायज दावा है क्योंकि यह हरियाणा के भीतर या उसकी सीमा से गुजरती है लेकिन सत्ताधारी वर्ग की पार्टियाँ यमुना के पानी में हरियाणा के हिस्से को बढ़ाने का सवाल नहीं उठाती।

कावेरी पर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के बीच या गोदावरी पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच या कृष्णा पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच, ये विवाद ऊपरी और निचले तटीय राज्यों के बीच के विवाद हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के विवाद में ऐसा नहीं है, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान गैर–तटीय राज्य हैं।

हम इस विवाद के लोकतांत्रिक समाधान के पक्ष में हैं जो रिपेरियन लॉ (तटवर्ती कानून) पर आधारित होना चाहिए। लोगों की पीने के पानी की जरूरतों के लिए रियायत दी जानी चाहिए। इसके अलावा, इस नियम को लागू करने का चरणबद्ध कार्यान्वयन हो सकता था या अब भी हो सकता है जो गैर–तटवर्ती राज्यों को अपनी खेती अपनी परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की अनुमति दे और कृषि का विकास पानी की उपलब्धता जैसी परिस्थितियों के अनुरूप हो।

लेकिन सत्ताधारी वर्गों ने ऐसा नहीं किया, वे अब भी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल, लगभग छह दशक बीत चुके हैं जिनका उपयोग इस बदलाव या वैकल्पिक मॉडल के विकास के लिए हो सकता था – यह जनता की एकता को बढ़ावा देता। परंतु ऐसा तभी हो सकता है जब सत्ताधारी दल ये चाहें, जो वे नहीं चाहते, अपितु वे अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए लोगों को बांटने पर आमादा हैं।

हमें रिपेरियन (तटवर्ती) सिद्धांत का समर्थन करना चाहिए क्योंकि इस मामले में विवाद को सुलझाने का यही न्यायोचित और सही तरीका है। हमें अपनी स्थिति स्पष्ट कर, लोगों की आवश्यक जरूरतों और उनकी एकता के हितों को ध्यान में रखते हुए इसके कार्यान्वयन की वकालत करनी चाहिए। हमें लोगों के बीच काम करते हुए इस सवाल को उठाकर उन्हें विकल्प के लिए संगठित करना चाहिए। सत्ताधारी वर्ग लोगों के बीच फूट डाल रहा है लेकिन जनता उनकी चालों को समझ जाएगी।

अमेरिका : ट्रम्प प्रशासन का प्रवासी मजदूरों के खिलाफ फासीवादी हमला

6 जून से लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर जो कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, में ट्रम्प प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूरों के खिलाफ हमले के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हालाँकि ट्रम्प प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूरों के खिलाफ बढ़ते हमलों से व्यापक आक्रोश फैल रहा था, लेकिन तत्काल विवाद तब शुरू हुआ जब लगभग 40 प्रवासी मजदूरों को उनके कार्यस्थल से गिरफ्तार कर लिया गया। कार्यशालाओं, भोजनालयों, दुकानों और गोदामों से की गई इन गिरफ्तारियों ने ट्रम्प प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूरों के खिलाफ किए गए मनमाने और अमानवीय हमले के खिलाफ लोगों के गुस्से को भड़का दिया और बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने लगे। ट्रम्प प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के खिलाफ अत्याचार करने के लिए अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) विभाग का इस्तेमाल किया है। हालाँकि शुरू में ट्रम्प ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त प्रवासी मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई की बात की थी, लेकिन वास्तव में यह प्रवासी मजदूरों को परेशान करने का एक बड़ा अभियान बन गया है, यहाँ तक कि उन प्रवासी मजदूरों को भी जिनका किसी आपराधिक गतिविधि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। प्रतिदिन हिरासत में लिए जाने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या 3000 प्रति दिन निर्धारित की गई है, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के पहले चार महीनों में यह संख्या औसतन 660 प्रति दिन रही है।

प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ यह कार्रवाई सभी लोकतांत्रिक मानदंडों, मानवीय गरिमा और सभ्य जीवन के मानदंडों का उल्लंघन करती है। प्रवासी श्रमिकों का दिनदहाड़े अपहरण किया जा रहा है, उनको अपने परिवारों से हिंसक तरीके से अलग किया जा रहा है और आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन की हिरासत में रहने के लिए छोड़ दिया जा रहा है जहां उनको कोई नागरिक अधिकार एपलब्ध नहीं हैं। इन कृत्यों ने प्रवासी श्रमिकों को लक्षित करने वाली ट्रम्प प्रशासन की नीति के खिलाफ प्रवासियों तथा आम जनता में बहुत गुस्सा पैदा किया है और लॉस एंजिल्स से शुरू होकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ आईसीई की कार्रवाई लॉस एंजिल्स या कैलिफोर्निया तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी राज्यों में की जा रही है। इसलिए, विरोध प्रदर्शन कैलिफोर्निया के कई केंद्रों के साथ–साथ संयुक्त राज्य के अन्य राज्यों में तथा बहुत से केन्द्रों में भी फैल गये हैं।

ट्रम्प प्रशासन ने एक सुनियोजित उपाय के तहत प्रवासी श्रमिकों के साथ इस अमानवीय, अत्याचारी व्यवहार का विरोध करने वालों के खिलाफ ट्रम्प ने पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 2000 नेशनल गार्ड तैनात किए और फिर उनकी संख्या बढ़ाकर 4000 कर दी। इसके अलावा ट्रम्प ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए 700 मरीन (अमेरिकी सैन्य बल) भेजे। ट्रम्प ने प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ अपने युद्ध का विरोध करने वालों को संयुक्त राज्य अमेरिका विरोधी और ''पेशेवर आंदोलनकारी'' कहा। यह शब्द भारत सहित कई देशों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ फासीवादी ताकतों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ सशस्त्र बलों को तैनात करके, ट्रम्प प्रशासन ने न केवल प्रवासी श्रमिकों, उनके समुदायों के खिलाफ बल्कि उन सभी अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा की है जो लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खड़े हैं और मानवीय गरिमा और सभ्य व्यवहार का सम्मान करने के लिए खड़े हैं।

ट्रम्प प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ व्यापक दमन किया गया। ट्रम्प ने लॉस एंजिल्स के मेयर और कैलिफोर्निया के गवर्नर को, जिन्होंने ट्रम्प प्रशासन के दन दमनकारी कदमों का विरोध किया, प्रदर्शनकारियों के साथी करार दिया। लॉस एंजिल्स में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व शुरू में सर्विस एम्प्लॉइज इंटरनेशनल यूनियन (SEIU) ने किया था और SEIU कैलिफोर्निया के अध्यक्ष डेविड ह्यूर्टा को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी ने कैलिफोर्निया और अन्य स्थानों में संगठित श्रमिकों को आंदोलन में और सक्रिय कर दिया। अब न केवल संगठित श्रमिक, विशेषकर सेवा कर्मचारी, बल्कि स्थानीय समुदायों के सदस्य और सामान्य लोकतांत्रिक ताकतें इस बढ़ते आंदोलन में भाग ले रही हैं।

प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ यह हमला अमेरिका में पूंजी और श्रम के बीच अंतर्विरोध की तेजी को दिखाता है। यह मजदूर वर्ग के खिलाफ हमलों को तेज करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में मजदूर वर्ग को विभाजित करने का एक प्रयास भी है। ट्रम्प प्रशासन और रिपब्लिकन पार्टी नियंत्रित प्रतिनिधि सभा और सीनेट श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा में कटौती कर रहे हैं और सरकारी विभागों में रोजगार में कटौती कर रहे हैं जबकि कॉरपोरेट पर उदारता बरसा रहे हैं। यह ट्रम्प के "बड़े सुंदर बिल" के पीछे की सच्चाई है। यह बिल प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किया जा चुका है तथा अब सीनेट के सामने विचाराधीन है। ट्रम्प प्रशासन के इस बढ़ते हमले को देखते हुए, अमेरिका में मजदूर और लोकतांत्रिक लोग विरोध में उठ खड़े हुए हैं।

ट्रम्प प्रशासन का हमला अमेरिका में लोकतांत्रिक अधिकार आंदोलन को कुचलने का फासीवादी प्रयास है। यह रूढ़िवादी थिंक टैंक, हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट 2025 से मार्गदर्शन लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करना है, विशेष रूप से गैर–श्वेत अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना है। प्रवासी मजदूरों पर हमला अमेरिका को उसके कथित गौरवशाली अतीत की ओर वापस ले जाने के अभियान का हिस्सा है, जो गुलामी के दौर में श्वेत वर्चस्व वाले अमेरिका के लिए एक व्यंजना है। यह खुलकर नहीं कहा गया है, लेकिन वे बेशर्मी से श्वेत वर्चस्व के पक्ष में खड़े हैं। इससे मजदूर वर्ग में विभाजन पैदा होता है, जिसकी जरूरत कॉरपोरेट को मजदूर वर्ग के आंदोलन को दबाने तथा उसके

(शेष पृष्ठ 7 पर)

विश्व बैंक निर्देशों का पालन – रियायती बिजली दरें समाप्त, खेती में पूर्ण बिलिंग, कारपोरेट मुनाफे को सहारा

उप्र सरकार द्वारा विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण में तेजी

आशीष

वर्ष 2020 में तीन काले कृषि कानूनों के साथ, केन्द्र सरकार ने एक नया बिजली बिल भी प्रस्तावित किया था। इस बिल का मूल उद्देश्य था स्मार्ट मीटर लगाना तथा रियायती बिजली दरें समाप्त करना जिसका मुख्य भार ग्रामीणों व खेती पर पड़ना था। तीन कानूनों की वापसी के साथ सरकार को इस बिल को भी ठण्डे बस्ते में डालना पड़ा। पर उसने राज्य सरकारों से बिजली दरें बढ़वाकर स्मार्ट मीटर लगाना चालू करा दिया। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाये जाना इलाकेवार प्रारम्भ किया गया है और सभी जगहों पर मनमाने बढ़े हुए बिल भेजकर उपभोक्ताओं से वसूली शुरू कर दी गयी है। साथ में बिल के बकाया के नाम पर बड़े पैमाने पर बस्तियों की बिजली काटने, फिर पैसा लेकर कनेक्शन जोड़ने और कटिया से कनेक्शन रोकने का अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया में वसूली करने की व्यवस्था मजबूत कर दी गयी है। इस क्रम में पुरानी जनता कनेक्शन योजना जिसमें बहुत कम दर पर घर का पंखा व बिजली चलाने लायक कनेक्शन दिया जाता था तथा फिक्स्ड चार्ज व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है और बिजली दरें काफी बढ़ा दी गयी हैं। इसका गरीबों के जीवन खर्च पर भारी बोझ पड़ेगा।

बिजली विभाग का निजीकरण करने की योजना वास्तव में नब्बे के दशक के उदारीकरण दौर की है। यही नीति लतिन अमेरिका के देशों में, सन् 1980 के दशक में विश्व बैंक के ढांचागत समायोजन कार्यक्रम के तहत, सरकारों की नागरिक सुविधा प्रदाता की भूमिका समाप्त कराकर गरीबों के जीवन को और कठिन बना चुकी थीं। भारत में 1950 के दशक में बनी कल्याणकारी राज्य नीति के तहत बिजली उत्पादन व वितरण का सारा ढाँचा जनता की गाढ़ी कमाई से, सरकार द्वारा तैयार किया गया था। तब निजी क्षेत्र इसमें निवेश करने की स्थिति में भी नहीं था और देश के हुक्मरानों ने आर्थिक विकास की आधारशिला रखने के लिए तमाम बुनियादी ढांचा निर्माण सरकारी निवेश से किया था। शासकों का वादा था कि बिजली बिना लाभ–हानि के सभी को मुहैया कराई जाएगी। इसे निजी कम्पनियों और सरकारों के कब्जे से मुक्त रखकर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और राज्य बिजली बोर्डों के तहत रखा गया था। देश में बिजली उत्पादन को अलग रखा गया जो केन्द्रीय व राज्य ताप बिजली निगम, जल बिजली निगम, परमाणु बिजली निगम व अन्य द्वारा किया जाता था। पारेषण (ट्रान्समिशन) तथा वितरण व बिलिंग के कार्यों का संचालन राज्य के बिजली बोर्ड करते थे, हालांकि मुम्बई जैसे एकाध शहर में यह काम टाटा जैसी निजी कम्पनियां कर रही थीं। इस दौर में विद्युत आपूर्ति के इन दोनों निगमों के निजीकरण की प्रक्रिया अलग–अलग चलाई गयी।

बिजली उत्पादन में निजीकरण

उत्पादन में निजी कम्पनियों को छूट देने का कानूनी प्रावधान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में लाया गया। पर इसका पहला बड़ा और बेहद विवादास्पद अनुसरण एनरॉन की दाभोल परियोजना, डीबीसी का है जो 1992 में शुरू हुई और 1999 में उसने उत्पादन प्रारम्भ किया। यह अमेरिका की तीन कम्पनियों, एनरॉन (80 फीसदी शेयर), जनरल इलेक्ट्रिक और बेकटेल की संयुक्त योजना थी, जिसमें 740 मेगावाट बिजली नैप्था से बननी थी और 1700 मेगावाट गैस से। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इससे करीब 18.5 करोड़ यूनिट बिजली खरीदनी शुरू किया जिसकी दर रु 3.37 से 8.06 प्रति यूनिट पड़ती थी। बारिश के समय जब खपत घट जाती थी, तब दाभोल से बिजली खरीद की दर रु 25.2 प्रति यूनिट तक भी पड़ी थी। महत्पूर्ण है कि एनटीपीसी उस दौर में मात्र रुपये 1.3 प्रति यूनिट और टाटा पावर भी मात्र रुपये 1.8 प्रति यूनिट बिजली बेच रही थीं। समझौते के अनुसार हर महीने राज्य सरकार को डीबीसी से सैकड़ों करोड़ रुपये की बिजली खरीद कर पेमेन्ट करना पड़ता था, चाहे वह इसे आगे बेचे या नहीं बेचे। 2001 में पेमेन्ट के अभाव और विवादों में घिरी यह परियोजना बंद कर दी गयी। कारपोरेट मुनाफे की गारंटी इस तरह की गयी थी, जिसमें भारत सरकार द्वारा इनके निवेश पर 16 प्रतिशत मुनाफे की गारंटी की चर्चा जोरों पर थी। अनुमान है कि ऐसी पूर्व शर्तों के चलते बिजली खरीद के कारण उत्तर प्रदेश सरकार निजी कम्पनियों को करीब 6,761 करोड़ रुपया का व्यर्थ सालाना भुगतान कर रही है।

इसके अलावा इस दौर में कई सरकारी विद्युत उत्पादन संयत्र निजी कम्पनियों को बहुत सस्ते दाम पर बेच दिये गए हैं। उत्पादन के लिए नए संयत्र लगाने के लिए सरकारी वित्तीय संस्थानों ने उन्हें सस्ते लोन दिये हैं, राज्य सरकारों ने किसानों की जमीन सस्ती दरों पर अधिग्रहण करके दी हैं, वे हमारी नदियों से बिना किसी पेमेन्ट के करोड़ों लीटर पानी रोजाना उठाती हैं जिससे क्षेत्र का जलस्तर तथा इन संयत्रों से निकलने वाली कोयले की राख से खेती व पशुपालन प्रभावित हो रहे हैं। पूरा सोनभद्र जिला इस बरबादी से पीड़ित है। तब भी राज्य सरकार उनसे महंगी बिजली खरीदती रही है। यह योजना आधार पर अमल की गयी कि बिजली उत्पादन में कमी को तेजी से पूरा करना है, इसे सरकार पूरा नहीं कर सकती, अतः निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में जिंदल, अदानी, टाटा, लैंको अन्नपारा, ग्रीनको, आदि कई निजी क्षेत्र की कम्पनियां बिजली बनाकर बेच रही हैं तथा इनमें से कुछ उसका वितरण भी कर रही हैं। प्रदेश में अक्टूबर 2024 में कुछ निजी कम्पनियों से 17 रूपये यूनिट तक की दर से बिजली खरीदी गयी है, जबकि उस समय राज्य के पन–बिजली केंद्र 1 रुपया और एनटीपीसी 4.78 रूपये यूनिट की दर से बिजली पैदा कर रहे थे। सबसे सस्ती खरीद अदानी समूह से करीब रु0 5.83 की दर से है।

निजी बिजली उत्पादन कम्पनियां बड़े पैमाने पर बहुत महंगे दामों पर ईंधन और उपकरणों की खरीद में फर्जीवाड़ा कर बिजली का दाम बढ़ाती रही हैं। 2017 में कैग ने अडानी और एस्सार समूह के बिजलीघरों में इसी तरह का 600 करोड़ रूपये का फर्जीवाड़ा पकड़ा था। उससे पहले दिल्ली में रिलायंस समूह द्वारा मनमाने महंगे दाम पर अपनी ही दूसरी कम्पनी से खरीदे उपकरण लगाकर दाम बढ़ाने की बात सामने आई थी। महंगे दाम पर निजी बिजली कम्पनियों द्वारा कोयले का आयात भी इसी का हिस्सा है। इन सभी तिकड़मों से इन कम्पनियों के मुनाफे की गारंटी की जाती रही है।

बिजली पारेषण, वितरण व बिलिंग

दूसरा पहलू पारेषण और वितरण तथा बिलिंग कम्पनियों को धंधे में कमाने का मौका देने का है। इसमें उत्तर–प्रदेश में ही 2009 में आगरा में बिजली वितरण टोरेंट को देने का है। 2023–24 में टोरेंट पावर कारपोरेशन ने 4.36 रुपये प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली सप्लाई की, जिसे पावर कारेपोरेशन खुद 5.55 रु0 प्रति यूनिट की दर से खरीद रही थी। इसमें उसे 275 करोड़ रुपये का सालाना घाटा हुआ। टोरेंट ने यही बिजली उपभोक्ताओं को 7.98 रुपये प्रति यूनिट की दर से बेची और 800 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। विगत 14 वर्षों में टोरेंट के कारण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को 2,434 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। इसके अलावा टोरेंट ने 2,200 करोड़ रुपये का पिछला बकाया भी आगरा में वसूला है। ये निजीकरण न किया जाता तो कारपोरेशन 7,000 करोड़ रुपये कमा सकती थी। इसी तरह से देश भर के लगभग बीसों शहरों, भिवंडी, औरंगाबाद, जलगांव, नागपुर, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, आदि में निजी वितरण कम्पनियों को ठेके दिये गए हैं।

2016 में केन्द्र सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरु की, जिसमें सभी गावों तक बिजली पहुंचाने और घरों को कनेक्शन से जोड़ना अनिवार्य किया गया। उस दौर में बिजली कर्मियों पर नए कनेक्शन जोड़ने के टारगेट पूरा करने की शर्त थोपी गयी। आम अनुभव है कि जिन घरों में संयुक्त परिवार थे, वहां एक से अधिक कनेक्शन दबाव बनाकर जोड़े गये और गांव की कई बस्तियों में महिलाओं से मोबाइल नम्बर प्राप्त करके भी कागजों में प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये ये मुफ्त कनेक्शन जोड़ दिये गये, जबकि बिजली आपूर्ति की कोई व्यवस्था ही नहीं थे। कई गांवों से बिजली के कनेक्शन न होने पर भी बिल प्राप्त होने की शिकायतें बाद में आयीं। आज ये सभी कनेक्शन बिल जमा करने का सरदर्द बन गये हैं। घर–घर उजाला पहुंचाने के नाम पर चलायी गये ये योजना बिजली के बाजारीकरण का विस्तार करने से जुड़ी हुई थी।

इस तरह से विश्व बैंक निर्देशित निजीकरण योजना द्वारा बिजली उत्पादन, वितरण व राजस्व वसूली की खुली लूट की जा रही है। देश में हर जगह किये गये बिजली के निजीकरण ने भारी घाटा भी पहुंचाया है और जनता पर बोझ बढ़ाया है। इससे बिजली बेहद महंगी हुई है और बिजली उत्पादन और वितरण का बेशकीमती ढाँचा निजी कम्पनियों के कब्जे में चला गया। जिन राज्यों में बिजली निजी कम्पनियों के हाथों में है, वहाँ इसकी दर 17 रूपये प्रति यूनिट तक है।

उत्तर–प्रदेश में 2001 में बिजली निगमों का घाटा केवल 77 करोड़ रूपये था जो अब बढ़कर 1,10,000 करोड़ रुपये हो गया है। बिजली के घाटे के लिए हमेशा गरीबों को दोष दिया जाता है। घाटे का सच तो यह है कि बिजली विभाग के कुल घाटे की बहुत बड़ी रकम 14,400 करोड़ रूपये सरकारी विभागों पर बकाया है, काफी रकम निजी कम्पनियों, बड़े कारोबारियों और रसूखदार लोगों पर बकाया है और दसियों हजारों करोड़ का घाटा निजी कारपोरेट घरानों से अत्यधिक महंगी बिजली खरीदने के कारण है।

निजीकरण का विरोध

उत्तर–प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के निजीकरण का फैसला किसान ही नहीं, तमाम मेहनतकश जनता के खिलाफ है। खुद बिजली कर्मचारी लम्बे समय से इसके खिलाफ आन्दोलन कर रहे हैं। पिछले साल नवम्बर में प्रदेश सरकार ने दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत निगमों का निजीकरण करने का फैसला लिया। उत्तर–प्रदेश सरकार ने जिन पूर्वांचल और दक्षिणांचल बिजली निगमों के निजीकरण का फैसला किया है, उनका रिजर्व दाम मात्र करीब 1600 करोड़ रुपये रखा है और उनकी सारी जमीनों को मात्र 1 रुपये प्रतिवर्ष की लीज पर जोड़ा है। सरकारी पैसे से निर्मित इन निगमों की कुल सम्पत्ति कई हजार करोड़ रुपये की है।

हालांकि सरकार हमेशा घाटों के लिए स्थायी रोजगार प्राप्त सरकारी कर्मचारियों दोष देती रही है, पावर इंजीनियर्स का दावा है कि सरकारी विद्युतकर्मियों ने पिछले सालों में पूरे पावर कारपोरेशन में पारेषण में होने वाली क्षति को वर्ष 2016–17 में 41 फीसदी से घटाकर वर्ष 2023–24 में मात्र 17 फीसदी पर ला दिया है। सभी निगम अब मुनाफा दिखाने के दायरे में आ गए हैं। इन दोनों निगमों को अब भी उपभोक्ताओं से करीब 66,000 करोड़ रुपया का बकाया वसूलना है जिससे उन्हें करीब 20,000 करोड़ का मुनाफा होने का अनुमान है। योगी सरकार इतने बड़े आर्थिक घाटे को अंजाम देने जा रही है, जबकि 2018 और 2020 में उसने यूनियनों से निजीकरण न करने का लिखित समझौता किया था। अब इस निजीकरण की कीमत कर्मचारी, इंजीनियर और आम उपभोक्ता चुकाएंगे।

ये दोनों निगम प्रदेश के 42 जिलों में बिजली आपूर्ति करते हैं और अब इन्हें बांट कर 5 निजी कम्पनियों को सौंपने की सरकार की योजना है। इन दोनों में वरिष्ठ इंजीनियरों के अलावा करीब 2,154 जूनियर इंजीनियर, 23,818 लिपिक, टैक्नीशियन और 50,000 संविदा कर्मी कार्यरत हैं। सरकार स्थाई कर्मियों का समायोजन एनटीपीसी तथा प्रदेश के शेष 4 विद्युत निगमों (मध्यांचल, पश्चिमांचल तथा दो अनामित) में करना चाहती है। वह संविदाकर्मियों की नियुक्ति स्वतः ही समाप्त घोषित कर देगी क्योंकि वे पहले से ही आउटसोर्स किये हुए हैं। 17, 18, 19 मार्च 2022 को हुई हड़ताल के बाद करीब 1500 विद्युतकर्मियों पर दमन कर उन्हें निलंबित किया गया व कई की सेवा समाप्त की गयी। इस समय

(शेष पृष्ठ 6 पर)

संगरूर : दलितों के भूमि आंदोलन पर दमन

(पृष्ठ 3 का शेष)

वितरित करने का संघर्ष लंबे समय से चला रही है और इस संदर्भ में वर्षों से लगातार राज्य सरकार व जिला प्रशासन को धरना, प्रदर्शन और विरोध सभाओं के जरिए अपनी मांगों से अवगत कराती रही है, लेकिन जमींदारों के प्रभाव में प्रशासन हीला–हवाली करता रहा है। पंजाब के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड बताते हैं कि केवल संगरूर में 13 गांव बेचिराग है, जबकि अन्य जिलों को जोड़कर यह संख्या 150 से भी अधिक है। पंजाब में बेचिराग भूमि उन जमीनों को कहते हैं, जिनके मालिकों का कोई वारिस नहीं होता। संगरूर, पटियाला तथा कुछ अन्य जिलों में बंटवारे के बाद बड़े पैमाने पर जमीन खाली हुई थी। इसके अलावा 1972 के सीलिंग एक्ट लागू होने के बाद बड़े पैमाने पर जमींदारों की 17.5 एकड़ की तय सीमा से अधिक जमीनें भी खाली हुईं। लेकिन जमींदारों ने जमीनें कभी खाली नहीं की, बल्कि फर्जी नामों से अपना कब्जा बनाए रखा और ना ही सरकारों ने उस पर कब्जा लिया।

आंकड़ों के अनुसार पंजाब में नजूल और ग्राम सभा की जमीनें 1 लाख 58000 एकड़ है, जिसमें से एक तिहाई जमीन के हिसाब से 52667 एकड़ भूमि दलितों को दी जानी चाहिए। 1961 में पंजाब ग्रामीण साझा भूमि कानून बना था, जिसके तहत सभी पंचायतों को अनिवार्य रूप से साझा भूमि का 33% हिस्सा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित करना था। उस समय से लेकर आज तक बड़े जमींदारों ने पंचायत प्रमुखों, प्रशासन और सरकारों के साथ सांठगांठ करके इस कानून का दुरुपयोग किया। यही नहीं दलित जाति के लोगों के फर्जी नाम से नजूल जमीन का पट्टा लेते रहे और उनका कब्जा दशकों तक बना रहा, लेकिन जेडपीएससी के नेतृत्व में जब संघर्ष शुरू हुआ, तो सामंतों के गुंडों और पुलिस के सामूहिक हमलों के कारण अनेक बार दलितों को अपना खून भी बहाना पड़ा। जेडपीएससी के संघर्ष का ही परिणाम था कि दलितों को एक वर्ष के लिए 20 से 30 हजार रुपए प्रति एकड़ के भुगतान पर पट्टा दिया जाने लगा। बाद में इस पर भी संघर्ष हुआ और तब सरकार ने पट्टे को 3 वर्ष के लिए कर दिया। जेडपीएससी के संघर्ष का ही परिणाम है कि अब तक लगभग 15 हजार एकड़ जमीन भूमिहीन दलितों को मिल चुकी है।

संगरूर में भूमिहीन दलितों पर हो रहे दमन और गिरफ्तारियां को लेकर दिल्ली के मानवाधिकारवादी नागरिक संगठन जन हस्तक्षेप की एक टीम ने मौके पर जाकर वहां के कई गांव का सर्वेक्षण किया। जन हस्तक्षेप के संयोजक और जेएनयू के डॉ. विकास बाजपेई, सहसंयोजक व वरिष्ठ पत्रकार अनिल दुबे और पत्रकार अफजल की तीन सदस्य टीम ने जेडपीएससी नेताओं, ग्रामीणों और बाद में जिला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की और जो जानकारी हासिल की उसके मुताबिक पूरा मामला कुछ इस तरह का है–

जींद के राजा स्वर्गीय सतवीर सिंह की 1127 एकड़ भूमि थी। इसमें से राजा ने जीवित रहते ही 200 एकड़ जमीन आयल डिपो को दे दी। बाकी 927 एकड़ जमीन में से 627 एकड़ जमीन फॉरेस्ट लैंड है, हालांकि इसमें भी आवास के लिए कई भूमि का दलितों के नाम पट्टा किया गया है, लेकिन यह सिर्फ कागजों में है। जन हस्तक्षेप जांच टीम 26 मई 2025 को संगरूर पहुंची और उसने दो दिन तक जेडपीएससी नेताओं, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से बातचीत के अलावा संगरूर के एडीसी श्री संदीप ऋषि और एसपी श्री सरदार सिंह चहल से मुलाकात की। जांच टीम को प्रशासन बेचिराग गांवों की जमीन और नजूल जैसी जमीन जो भूमिहीन दलित को आवंटित की जानी चाहिए थी, अब तक क्यों नहीं दी गई, इसका कोई जवाब नहीं दे सका। बल्कि एसपी चहल के बातचीत का रवैया 'ब्रिटिश राज के औपनिवेशिक कालीन असभ्य अधिकारी' जैसा था, जिनके सामने भारत की आम जनता की कोई हैसियत नहीं होती थी।

प्रशासन के दोनों अधिकारियों का यह कहना कि जेडपीएससी बातचीत नहीं करना चाहती और वह कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर तुली हुई थी, सच्चाई के एकदम विपरीत है। जेडपीएससी ने सरकार और प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर लगातार बातचीत की है और भूमि सीमा कानून 1972 के तहत जमीन आवंटित करने की मांगे रखी थी। जेडपीएससी ने सरकार को समय–समय पर दिए गए ऐसे कई ज्ञापन जांच टीम को दिखाए। उसी कड़ी में 28 फरवरी 2025 को बेचिराग गांव में प्रतीकात्मक दीप प्रज्वलन कार्यक्रम किया गया था। उस समय भी हजारों लोग कार्यक्रम में थे, लेकिन कोई कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं हुआ, जबकि उस वक्त वहां पुलिस भी मौजूद नहीं थी। इसका भी जवाब एसएसपी चहल नहीं दे सके। प्रशासन का यह दुष्प्रचार की संपूर्ण जमीन अदालत में विवादित है, यह भी सरासर झूठ है। दरअसल अदालत ने सिर्फ संदीप सिंह के कब्जे वाली 48 एकड़ जमीन पर ही को–स्टेटस (यथा स्थिति) बनाए रखने का आदेश दिया है। शेष जमीनों का कोई मामला अदालत में नहीं है।

जन हस्तक्षेप जांच टीम को ऐसे तथ्य मिले, जिसमें पंजाब के जमींदारों के रिश्तेदार बड़ी राजनीतिक हस्तियां और नौकरशाह हैं, जिसमें अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसएस सरों जैसे तमाम प्रभावशाली लोग शामिल हैं, जिनके रसूख से जमीनों पर अवैध कब्जा बना हुआ है। पंजाब में ये प्रभावशाली लोग जेपीएससी के आंदोलन से डरते हैं, क्योंकि इससे उनके कब्जे पर सवाल खड़ा होता है। जांच टीम को ग्रामीणों ने बताया कि गिरफ्तार जेडपीएससी नेताओं व कार्यकर्ताओं की रिहाई का मामला आप पार्टी सरकार के सरपंच तय कर रहे थे कि किसे जेल में रखा जाए या किसे छोड़ जाए। यह इस आधार पर किया जा रहा था कि किसने उन्हें वोट दिए थे। हालांकि भारी दबाव के कारण 1 जून को जेल से सभी लोगों को छोड़ने की घोषणा की गई लेकिन उससे पूर्व के 10 दिनों में आप पार्टी के सरपंच ही न्यायाधिकरण बने हुए थे। उस समय सादी हरी और जुलूर गांव के गिरफ्तार कम पढ़े लिखे लोगों को पुलिस ने रिहा करने के दौरान हस्ताक्षर/अंगूठा लगवाया, जिसमें यह लिखा था कि वह अब जेडपीएससी की किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।

जन हस्तक्षेप टीम का निष्कर्ष है कि संगरूर में प्रशासन द्वारा किया गया दमन और गिरफ्तारी शर्मनाक हैं। सरकार उन दलितों को परेशान कर रही है, जो अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, जबकि जमीनों पर अवैध कब्जा जमाए बैठे बड़े जमींदार और प्रभावशाली लोगों को कोई छू नहीं रहा है। टीम ने स्पष्ट रूप से देखा कि जेडपीएससी और उससे जुड़े दलित समुदाय पर राज्य प्रायोजित आतंक थोपा गया। मुकेश मलौद, बक्कर सिंह, गुरमुख सिंह धरमवीर, जगतार सिंह, गुरविंदर आदि के घरों पर छापे मारे गए। यह नेता किसी अन्य घरों में छुपे हो सकते हैं। इस अनुमान के आधार पर दलितों के घरों के दरवाजे और दीवारें भी तोड़ी गईं। इस तरह पुलिस ने कई गांवों में आतंक फैलाया। जन हस्तक्षेप की यह स्पष्ट अवधारणा है कि आईपीसी की धारा 751 के तहत 800 लोगों को गिरफ्तार करना एक सुनियोजित अपमानजनक कार्रवाई है, जबकि इस मामले में थाना इंस्पेक्टर खुद जमानत दे सकता है। इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती और थानेदार कई दिनों के लिए लोगों को जेल में डाल सकता है। इसी तरह सरपंचों को भी यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह तय करें कि किसे छोड़ जाए और किसे नहीं!

पंजाब के कई जिलों में भूमिहीन दलितों का वर्षों से जारी जमीन का संघर्ष देश के दलित आंदोलन के लिए एक बड़ी मिसाल है। जेडपीएससी नेता गुरमुख सिंह बताते हैं कि दलित पहले से जानते थे कि यह जमीनें उनकी हैं और कानूनन उनको ही मिलनी चाहिए, लेकिन वह असंगठित और असहाय थे। जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाने से डरते थे, उनका काम, आमदनी, भोजन और पशुओं के लिए चारा लेने तक के एकमात्र स्रोत वही थे, लेकिन अब पंजाब के भूमिहीन दलित संगठित हो चुके हैं। इन भूमिहीन दलित परिवारों के बच्चे शिक्षित हो रहे हैं और ये शिक्षित युवा और युवतियां भी संघर्ष में शामिल हो रही हैं। इस आंदोलन की मुख्य ताकत महिलाएं हैं, जो अपने हक की आवाज उठाने के लिए सबसे आगे खड़ी नजर आती हैं। 20 मई के आंदोलन में 800 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी में लगभग 400 महिलाएं शामिल थीं।

पिछले वर्ष संगरूर के घराचों गांव में 48 एकड़ जमीन पर दलित महिलाओं ने लंबे संघर्ष के बाद कब्जा पाया था और जमीन पर हल चला सकी थीं। इस पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी और इन महिलाओं के संघर्ष को दुनिया के सामने पेश किया था। पंजाब में इस तरह के कई संघर्ष चल रहे हैं। यह आंदोलन देश के दलित के मुद्दों पर हो रहे अन्य संघर्षों के लिए भी एक बड़ा सबक है कि जातीय उत्पीड़न के मुद्दों पर बड़े संघर्ष आर्थिक सवालों को जोड़कर खास तौर पर गांवों में, शहरों में छोटे लेकिन गरीब जनता के लिए अहम मुद्दों, मसलन जमीन पर अधिकार, मजदूरी बढ़ाने, आवास और शिक्षा के सवालों को शामिल किए बिना लंबे और निर्णायक संघर्ष नहीं चलाए जा सकते। इन मुद्दों पर होने वाले संघर्ष वर्गीय संघर्ष की चेतना को भी मजबूत करते हैं।

उप्र : विद्युत वितरण

(पृष्ठ 5 का शेष)

इस निजीकरण के खिलाफ एक बार फिर वे अपनी आवाज बुलन्द करते हुए दोपहर 2 से 5 के बीच कार्य बहिष्कार कर जनसभाओं का संचालन कर रहे हैं। इस आंदोलन के दबाव के कारण ही सरकार अभी तक निजीकरण के ठेके नहीं दे सकी है, हालांकि उसने सेवा शर्तों में बदलाव तथा एस्मा लगाने की घोषणा कर दी है।

आम उपभोक्ता व ग्रामीण जनता

बिजली जनता की सम्पत्ति है क्योंकि यह जनता के प्राकृतिक संसाधनों से पैदा की जाती है। ये मुनाफाखोर कम्पनियों और जनविरोधी शासन व्यवस्था के द्वारा जनता से छीन कर कम्पनियों को सौंपे जा रहे हैं। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने भी बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध किया है और बिजली कर्मचारियों के इस आन्दोलन का समर्थन किया है। एसकेएम ने मांग उठायी है कि निजीकरण को रोका जाए और सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं को हर महीना 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए, योगी सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करे और ट्यूबवेलों को बिना शर्त मुफ्त बिजली दे, स्मार्ट मीटर योजना रद्द की जाए, किसानों के ट्यूबवेलों को 18 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए, कनेक्शन चार्ज, लाइन, ट्रांसफार्मर, बिलिंग मीटर, कनेक्शन काटने व जोड़ने, तमाम अधिभार आदि उपभोक्ताओं से वसूलना बन्द किया जाए, निजी कम्पनियों से महंगी बिजली खरीदना बंद किया जाए, बिजली विभाग में कर्मचारियों पर थोपी गयी नयी श्रमिक विरोधी सेवा नियमावली वापस ली जाए और सभी संविदा कर्मियों को नियमित किया जाय।

यद्यपि सरकारी बिजली विभाग और उपभोक्ताओं के बीच फर्जी बिल भेजना और रिश्वत की रकम वसूल कर बिल ठीक करना परेशानी और विवाद का एक मसला रहा है, संघर्ष के दौरान जनता की उपरोक्त मांगों पर बिजली कर्मचारी संघों ने समर्थन व्यक्त किया है। आन्दोलन आगे बढ़ेगा तो जनता और कर्मचारियों के बीच विवाद हल होंगे और विदेशी कम्पनियों समेत कारपोरेट घरानों की इस लूट के विरुद्ध एकता आगे बढ़ेगी।

पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए सभी पाठकों से अनुरोध

- *पत्रिका के लिए लेख व रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें।*
- *पत्रिका के बारे में अपने सुझाव भेजें।*
- *कृपया पत्रिका की प्रतियों की राशि समय पर पहुंचाएं।*
- *लेख, रिपोर्ट, सुझाव तथा राशि पत्रिका के पते पर भेजें।*

पटना : आपरेशन कगार के खिलाफ सम्मेलन

जन अभियान, बिहार के बैनर तले आज 3 जून, 2025 को पटना के गांधी संग्रहालय में 'जनविरोधी व दमनकारी ऑपरेशन कगार को बंद करने और माओवादियों से शांति वार्ता शुरु करने' पर कन्वेंशन का आयोजन किया गया।

सममेलन के अध्यक्ष मंडल में कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया के नेता सतीश कुमार, जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी के प्रांतीय संयोजक मणिलाल, जनवादी लोक मंच के नेता पुकार और नागरिक अधिकार रक्षा मंच के नेता संजय श्याम शामिल थे।

कन्वेंशन को सम्बोधित करने वाले प्रमुख वक्ताओं में जनवादी लोक मंच के बलदेव झा, सीपीआई (एमएल) के अशोक बैठा, सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी के वी.के. पटोले, जसवा के नेता मणिलाल, एमसीपीआई (यू) के नेता निरंजन, सीसीआई के नेता पार्थ सरकार, सर्वहारा जन मोर्चा के नेता राधेश्याम, नागरिक अधिकार रक्षा मंच के नेता रंजीत, बिगुल मजदूर दस्ता की वारुणी , कम्युनिस्ट चेतना केन्द्र के राम लखन, वरिष्ठ राजनीतिक कर्मी चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी, पीयूसीएल (बिहार) के महासचिव सरफराज, पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अशोक कुमार, क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता मनोज कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार झा, कम्युनिस्ट सेंटर फॉर साइंटिफिक सोशलिज्म के इन्द्रजीत, जन संघर्ष मंच के शिवशंकर राय, आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

नन्द किशोर सिंह, सतीश कुमार, संजय श्याम, मणिलाल, पुकार, रामवृक्ष राम, जमीरूद्दीन, सौजन्य उपाध्याय द्वारा जारी एक वक्तव्य के अनुसार वक्ताओं ने एक स्वर से ऑपरेशन कगार को जनविरोधी एवं दमनकारी बतलाया और उस पर अविलम्ब रोक लगाने की मांग की। अनेक वक्ताओं ने छत्तीसगढ़ एवं दंडकारण्य इलाके में ऑपरेशन कगार के तहत चलाए जा रहे सैन्य अभियान को भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार का फासिस्ट अभियान बताया। कन्वेंशन में यह बात भी आई कि सरकार का दमन अभियान सिर्फ छत्तीसगढ़ और माओवादियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में मजदूरों, किसानों, अन्य मेहनतकश वर्गों व शोषित उत्पीड़ित जमातों और दबे–कुचले समुदायों के न्यायपूर्ण आन्दोलनों के साथ भी सरकार का रवैया बेहद शत्रुतापूर्ण और दमनकारी है।

जन अभियान, बिहार द्वारा पेश आलेख में मांग की गई :

1. छत्तीसगढ़ में चलाये जा रहे ऑपरेशन कगार को तत्काल प्रभाव बंद किया जाए तथा इसमें लगाये गये सुरक्षा बलों को वहां से हटाया जाए।

2. आदिवासियों व आम जनता के खिलाफ दायर सभी फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं।

3. हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ में हुई सभी मुठभेड़ों और मारे गये आदिवासियों के मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के पीठासीन जज की अध्यक्षता में हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

4. जल, जंगल, जमीन से सम्बन्धित देशी और विदेशी कॉरपोरेट कम्पनियों से किये गये सभी समझोते को रद्द किया जाए।

5. माओवादी संगठन से शांति वार्ता की जाए और समस्या के मूल में जाकर उसका समाधान निकाला जाए।

आपरेशन सिंदूर पर मीडिया में उठ रहे सवालों पर जवाब दो व पहलगाम घटना की न्यायिक जांच करो- 'नागरिक समाज'

इलाहाबाद नागरिक समाज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष कुमार पर आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना प्रभारी की ओर से दर्ज कराई गई फर्जी एफआईआर नंबर 0136 को निरस्त करने, थाना प्रभारी के दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच कराने, पहलगाम घटना की न्यायिक जांच कराने और नागरिकों की मौत के दोषियों को दंडित करने व आपरेशन सिंदूर पर उठ रहे सवालों का जवाब सरकार की तरफ से देने की मांग पर जिलाधिकारी कार्यालय पर 21 मई को प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शन के दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि सरकार से सवाल पूछने पर आइसा प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार पर मुकदमा दर्ज करना अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। हाल ही में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना, लोकगायिका नेहा सिंह राठौर और अध्यापिका माद्री काकोटी (डॉ मेडुसा) सहित लखनऊ विवि के दो प्रोफेसरों के खिलाफ भी उनके सोशल मीडिया पोस्ट के कारण ही कार्रवाई की गई।

नागरिक समाज ने यह भी मांग की कि मीडिया में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कही गई बात पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे द्वारा व्यापार का दबाव बनाकर आपरेशन सिंदूर को रोका गया।

आज हुए प्रदर्शन में ऋश्वेश्वर उपाध्याय, डॉ. आशीष मित्तल, सिद्धेश्वर मिश्रा, शीतला प्रसाद, डॉ कमल उसरी, अविनाश मिश्रा, एड. राजवेंद्र सिंह, सुनील मौर्या, सुभाष पाण्डेय,विश्वेश राजारत्नम, राजकुमार पथिक, चित्तजीत मित्रा, अविनाश, अनुपम, सोनाली, राधा, शिवानी, भूमि, सोनू यादव, विवेक सुल्तानवी, भानु कुमार, मुस्तकीम, अजमल, अरुण, राजेश, आर्यन, अमित, सुजीत, राकेश, चंद्रप्रकाश, सूर्या, संजय समेत सैकड़ों लोग शामिल रहें।

अमेरिका : ट्रम्प प्रशासन का प्रवासी मजदूरों के खिलाफ फासीवादी हमला

(पृष्ठ 4 का शेष)

वेतन तथा अधिकारों पर हमला करने के लिए है। अमेरिका में मजदूर वर्ग और लोकतांत्रिक तबकों द्वारा लोगों के संघर्षों की लंबी श्रृंखला के माध्यम से हासिल किए गए सभी अधिकारों को खत्म करने के लिए मजदूरों तथा लोकतांत्रिक ताकतों को विभाजित किया जा रहा है। दरअसल मजदूरों तथा आम जनता का ख्याल रखने का वायदा ट्रम्प का केवल दिखावा है जिसका इस्तेमाल उसने मजदूरों तथा आम जनता को छलने के लिए किया। उसका असली मकसद मजदूरों का शोषण तेज करना तथा कारपोरेट के मुनाफे को बढ़ाना है। ट्रम्प तथा उसके सहयोगी इस हकीकत को जानते हैं कि वे अधिक समय तक अमेरिकी मजदूरों तथा आम लोगों के तबकों को दिग्भ्रमित नहीं रख सकते व उनका विरोध में उठना लाजिमी है। इसलिए ये ताकतें काफी जल्दी में हैं कि अमेरिकियों के जीवन में ऐसे परिवर्तन कर दिये जायें जिन्हें उलटना मुश्किल हो। लेकिन सभी प्रतिक्रियावादियों की तरह ये भी जनता विशेषकर मजदूरों की ताकत तथा चेतना को कमतर आंकते हैं।

इस मकसद को हासिल करने के लिए, प्रोजेक्ट 2025 का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका में एकमात्र कार्यकारी अधिकारी है और प्रसिद्ध रुकावटों और संतुलन (Check and balance) को यू.एस. में महज परंपराओं में निहित मानता है तथा उसके संवैधानिक आधार से इंकार करता है। इस प्रकार इस मामले में उन्होंने सुझाव दिया है कि रिपब्लिकन राष्ट्रपति (ट्रम्प) को पूरे प्रशासन को अपने नामांकित लोगों से पूरी तरह भर देना चाहिए और प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से शासन करना चाहिए। ट्रम्प प्रशासन को लोकतांत्रिक अधिकारों या सामाजिक सुरक्षाओं के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि केवल उन कॉरपोरेट की सेवा करनी चाहिए जिन्होंने प्रोजेक्ट 2025 पर काम करने के लिए उदारतापूर्वक धन दिया है, और पुराने गौरव को बहाल करने के नारे के तहत सभी प्रतिरोधों को कुचल देना चाहिए, अर्थात लोगों को नस्लीय आधार पर विभाजित करके। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने राष्ट्रपति को उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान की है, जिसने इन ताकतों को काफी प्रोत्साहित किया है। प्रशासन के प्रवक्ता से सवाल करने के लिए कैलिफोर्निया के एक अमेरिकी सीनेटर को हथकड़ी लगाना इस बात का संकेत है कि ट्रम्प प्रशासन के पास लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए कितना कम सम्मान है। यह घटना आगामी समय की चुनौतियों को भी रेखांकित करती है।

परंतु अमेरिका की जनता ट्रम्प प्रशासन के हुक्म के आगे झुकने के लिए तैयारं नहीं हैं। वे ट्रम्प प्रशासन द्वारा किए गए फासीवादी दमन के खिलाफ अधिकाधिक खड़े हो रहे हैं। वे प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ अमानवीय और गैरकानूनी कार्रवाइयों को चुनौती देने के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए ट्रम्प प्रशासन द्वारा भेजे गए सुरक्षा बलों की तैनाती से नहीं डरे। वे प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि वे इसे आम तौर पर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के हिस्से के रूप में देखते हैं। समुदाय विरोध प्रदर्शनों को बनाए रखने के लिए संगठित हो रहे हैं और विरोध के नए क्षेत्र और केंद्र उभर रहे हैं जबकि लॉस एंजिल्स और कैलिफोर्निया राज्य में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। लोग प्रवासियों की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और कई जगहों पर गिरफ्तार प्रवासी श्रमिकों को ले जाने वाले सुरक्षा वाहनों को रोक रहे हैं।

जहां ट्रम्प प्रशासन इन विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सब कुछ कर रहा है, लोग इन दमनकारी उपायों को सफल होने देने के मूड में नहीं हैं। वे ट्रम्प प्रशासन के इस फासीवादी उपाय को परास्त करने के लिए उठ खड़े हुए हैं।

ईरान पर इज़राइल के हमले का विरोध

(पृष्ठ 1 का शेष)

भाकपा (माले) – न्यू डेमोक्रेसी ईरान की संप्रभुता पर, उसके सैन्य नेताओं और परमाणु वैज्ञानिकों पर तथा उसके परमाणु ठिकानों पर इज़राइली हमले की निंदा करती है और इस हमले में अमेरिका को सह–अपराधी मानती है। हम फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ इज़राइली शासकों द्वारा किए जा रहे जनसंहार के खिलाफ उनके संघर्ष और उनके राष्ट्रीय अधिकारों की प्राप्ति के संघर्ष का पूर्ण समर्थन करते हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि ईरान पर इजराईली हमले की न्रिदा करें तथा इजराईल की जनसंहारी तथा युद्धपरक नीतियों का किसी भी प्रकार से समर्थन न करे। हम जनता से अपील करते हैं कि वे ईरान और अन्य प्रतिरोध समर्थक ताकतों पर अमेरिका समर्थित इज़राइली युद्ध मशीन के हमलों के खिलाफ और फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करें।

(भाकपा (माले) – न्यू डेमोक्रेसी द्वारा 13 जून 2025 को जारी)

सीपीआई (माओवादी) महासचिव व 26 लोगों की निर्मम हत्या की निंदा

सीपीआई(एमएल) न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय समिति सीपीआई (माओवादी) के महासचिव कॉमरेड केशव राव, कई अन्य माओवादी नेताओं, कार्यकर्ताओं और आदिवासियों की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करती है।

हम 'ऑपरेशन कगार' को तत्काल बंद करने की मांग करते हैं, जो माओवादी नेताओं व कार्यकर्ताओं की शारीरिक सफाए और कॉरपोरेट लूट के खिलाफ आदिवासियों के प्रतिरोध को कुचलने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

आरएसएस–भाजपा सरकार सीपीआई (माओवादी) के नेताओं की सामूहिक गैर–न्यायिक हत्याओं का अभियान चला रही है, जो देश के कानून को पूरी तरह से रौंद रहा है।

सीपीआई (माओवादी) द्वारा एकतरफा संघर्षविराम की घोषणा और बिना शर्त शांति वार्ता की पेशकश के बावजूद सरकार द्वारा इस प्रकार की हत्याओं का सहारा लेना यह दर्शाता है कि उनकी मंशा शांति स्थापना की नहीं बल्कि हिंसक दमन की है, जिससे इन खनिज–संपन्न क्षेत्रों को कॉरपोरेट लूट के लिए साफ किया जा सके।

छत्तीसगढ़ राज्य की आरएसएस–भाजपा सरकार के गृहमंत्री ने स्वयं माओवादियों से शांति वार्ता के लिए आगे आने की अपील की थी, लेकिन सरकार अब पीछे हट गई है। अनेक बुद्धिजीवियों, लोकतांत्रिक अधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं द्वारा संघर्षविराम और शांति वार्ता की अपील, और अनेक संसदीय दलों द्वारा ऑपरेशन कागर का विरोध करने और उसे समाप्त करने की मांग के बावजूद सरकार यह हत्यारी मुहिम जारी रखे हुए है।

हम राज्य प्रायोजित इस बर्बर हिंसा को तुरंत बंद करने और इन निर्मम हत्याओं की न्यायिक जांच की मांग करते हैं।

सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी शहीद साथियों को श्रद्धांजलि देती है।

हम सभी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों, सभी वामपंथी दलों, प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ताकतों, लोकतांत्रिक अधिकार संगठनों, ऑपरेशन कगार का विरोध करने वाले दलों और सभी शांति व न्यायप्रिय नागरिकों से अपील करते हैं कि वे एकजुट होकर ऑपरेशन कागर को समाप्त करने और आरएसएस–भाजपा सरकार की हत्या की इस श्रृंखला को रोकने की मांग उठाएँ।

(सीपीआई(एमएल) न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय कमेटी द्वारा 21 मई, 2025 को जारी)

पंजाब: माओवादियों तथा आदिवासियों की हत्याओं के खिलाफ सम्मेलन व प्रदर्शन

माओवादियों, नक्सलियों, आदिवासियों के फर्जी पुलिस मुठभेड़ों को तत्काल बंद करने की मांग को लेकर 10 जून को जलंधर में पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टियों और क्रांतिकारी संगठनों ने देश भगत यादगार हाल जालंधर में एक प्रभावशाली, संयुक्त प्रांतीय सम्मेलन किया। सम्मेलन ने मोदी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों में माओवादियों और नक्सलियों को झूठी पुलिस मुठभेड़ों के जरिए मारने, देश के लोगों को सांप्रदायिक जहर के जरिए बांटने और देश की कीमती प्राकृतिक संपदा और मानव संसाधनों को देशी–विदेशी कॉरपोरेट लुटेरों को सौंपने की नीति को तुरंत रद्द करने की जोरदार मांग की।

सम्मेलन की अध्यक्षता सर्व साथी जसबीर कौर नत्त, रतन सिंह रंधावा, पृथीपाल सिंह मादिमेघा, अजमेर सिंह समारा, मुख्तियार सिंह पुहला, निरंजन सिंह सफीपुर ने की। आरएमपीआई के महासचिव कामरेड मंगत राम पासला, सीपीआई राज्य सचिव साथी बंत सिंह बराड़, सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी के वरिष्ठ नेता साथी दर्शन खटकड़, सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के राज्य सचिव कामरेड गुरमीत सिंह बख्तपुर, एमसीपीआई–यू पोलित ब्यूरो सदस्य साथी किरण जीत सिंह सेखों, क्रांतिकारी केंद्र पंजाब राज्य नेता मुख्तियार सिंह पुहला मुख्य वक्ता थे।

वक्ताओं ने कहा कि इन न्यायेतर हत्याओं का असली मकसद देश के जल, जंगल, जमीन और सार्वजनिक क्षेत्र सहित *(शेष कालम 4 पर)*

मजदूर वर्ग से आह्वान

9 जुलाई को अखिल भारतीय हड़ताल के लिए तैयारी बनाएं!

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का 20 मई की हड़ताल को टालने का दुर्भाग्यपूर्ण और परेशान करने वाला फैसला मजदूरों को असहाय और भ्रमित करेगा, और मोदी सरकार के मजदूर विरोधी युद्ध को और अधिक बढ़ावा देगा!

जब सीमा पर युद्धविराम और देश में सामान्य स्थिति है, तो मजदूर वर्ग के अधिकारों पर हमले के खिलाफ संघर्ष को कमजोर क्यों किया जाए?

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके महासंघों ने कई अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और ट्रेड यूनियन केंद्रों की उपेक्षा करते हुए दिल्ली के प्यारे लाल भवन में एक कन्वेंशन आयोजित किया और मोदी सरकार द्वारा मजदूर वर्ग पर किए जा रहे समग्र हमलों के विरोध में केवल एक दिन की हड़ताल 20 मई को घोषित की। जबकि पहले की हड़तालें दो–दिवसीय हुआ करती थीं। यह तब हो रहा था जब मजदूर वर्ग के आक्रोश ने एनडीए सरकार को 4 श्रम संहिताओं के लागू होने को सरकार के पहले 100 दिनों से टालकर 1 अप्रैल करवा दिया और फिर उसके बाद कोई ठोस घोषणा नहीं की गई।

7 मई की सुबह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार गोलाबारी शुरू होने के बाद, 9 मई को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मजदूर वर्ग से 20 मई की हड़ताल की तैयारी जारी रखने का आह्वान किया और कहा कि स्थिति की समीक्षा 15 मई को की जाएगी। लेकिन 9 मई के बाद से स्थिति में कोई उग्रता नहीं आई।

फिर भी अचानक,

10 मई को मोदी सरकार द्वारा भी भारत–पाक युद्धविराम की घोषणा के बाद, जो कि उसी दोपहर अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा पहले की गई थी और यह कार्रवाई सीमा पार घटनाओं के केवल एक सप्ताह के भीतर हुई, सरकार द्वारा खुद सामान्य स्थिति की बात कहे जाने के बावजूद, और लगभग 50 दिन पहले की गई हड़ताल की घोषणा के बावजूद, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने अचानक 20 मई की हड़ताल को 'देश में गंभीर स्थिति' बताकर 9 जुलाई तक स्थगित कर दिया!

यह अत्यंत खेदजनक है कि बीएमएस को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियन केंद्रों द्वारा हड़ताल को मजबूत करने की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद हड़ताल टाल दी गई। इससे भी खराब यह है कि उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार मजदूर वर्ग की इस रियायत का बदले में सम्मान करेगी और उस पर हमले रोक देगी!

एक ऐसे भाजपा बहुमत वाली केंद्र सरकार के बारे में यह भ्रम फैलाना कि वह मजदूर वर्ग की चिंताओं को सम्मान देगी – वही भाजपा जिसने महामारी के लॉकडाउन के दौरान श्रम संहिताएं और काले कृषि कानून लाए – मजदूर वर्ग को मानसिक रूप से निहत्था करने और इस फासीवादी ताकत के हमलों के प्रति असंवेदनशील बनाने जैसा है।

वैसे भी, पहले की दो–दिवसीय हड़तालों के बाद अब केवल एक दिन की हड़ताल का आह्वान पहले से ही एक कमजोर कदम था। यह संघर्ष अधिकारों की रक्षा के लिए हैं, न कि चुनावी राजनीति के लिए।

हम भारत के मजदूर वर्ग से आह्वान करते हैं:

20 मई की हड़ताल की तैयारी को व्यर्थ न जाने दें।

20 मई को मजदूर वर्ग पर हो रहे हमलों के विरोध का दिन बनाएं।

इसे 9 जुलाई 2025 को एक सर्वव्यापी अखिल भारतीय हड़ताल के लिए भी एक तैयारी बनाएं!

(इफ्टू की अध्यक्ष का. अपर्णा तथा महासचिव का. टी. श्रीनिवास द्वारा 16 मई 2025 को जारी वक्तव्य)

जलंधर सम्मेलन

(कालम 2 का शेष)

सभी प्राकृतिक संसाधनों को कॉरपोरेट घरानों को सौंपने की नीति के खिलाफ जनता के गुस्से को कुचलना है। वक्ताओं ने देश की जनता से इजरायल द्वारा फिलिस्तीनियों के कत्लेआम को रोकने तथा फिलिस्तीन को आजाद कराने, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जबरन अप्रवासियों को निकालने तथा भारतीयों को हथकड़ी व नावों में भरकर भारत भेजने का विरोध करने तथा विश्व युद्ध की धमकी देने वाले ट्रंप द्वारा छेड़े गए व्यापार युद्ध को समाप्त करने के लिए जन संघर्ष का आह्वान किया।

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar

Monthly

Balmukand Khand, Girinagar, New Delhi-110019

Hindi Organ of CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से मुद्रित तथा प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार